

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई. चन्द्र भूषण सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

श्री विद्यानंद प्रसाद,
कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जमशेदपुर
सम्प्रति (अधिसूचित) सहायक अभियंता,
सुवर्णरेखा बाँध अवर प्रमंडल सं.-02, घाटशिला
(सुवर्णरेखा बाँध प्रमंडल-01, घाटशिला)।

श्री छवि नारायण सिंह,
कनीय अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं.-01, मेदनीनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, जलपथ अवर
प्रमंडल सं.-03, गोला शिविर हजारीबाग (जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग)।

श्री रामविलास सिंह यादव,
कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, खरकई बाँध अवर
प्रमंडल सं.-05, कुजू (खरकई बाँध प्रमंडल-02, ईचा चालियामा)।

श्री राधेश्याम मेहरा,
कनीय अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल सं.-12, मानगो, जमशेदपुर सम्प्रति लघु सिंचाई
अनुमंडल, हाटमहरिया (लघु सिंचाई प्रमंडल चाईबासा)।

श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह,
कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो सम्प्रति सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल
सं.-02, साहेबगंज (गंगा पम्प नहर प्रमंडल साहेबगंज)।

श्री ब्रह्मदेव साह,
कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा सम्प्रति सहायक अभियंता, अवर प्रमंडल
सं.-02, नाला (सिंचाई प्रमंडल, नाला)।

श्री सूरज प्रसाद,
कनीय अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, मेदनीनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, पुनासी स्पीलवे अवर
प्रमंडल सं.-05, पुनासी (पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी शिविर देवघर)।

श्री उपेन्द्र प्रसाद भगत
कनीय अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं.-02, चैनपुर, गुमला सम्प्रति सहायक अभियंता, लघु
वितरणी प्रमंडल सं.-01, घाटशिला शिविर गालूडीह (लघु वितरणी प्रमंडल सं.-03,
घाटशिला शिविर गालूडीह)।

श्री रामलखन सिंह
सहायक अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, रँची सम्प्रति सहायक अभियंता, लघु
वितरणी अवर प्रमंडल सं.-06, डिमना (लघु वितरणी प्रमंडल सं.-02, डिमना जमशेदपुर)।

श्री विजय सिंह,
सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग सम्प्रति सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल
सं.-01, बरहरवा (सिंचाई प्रमंडल, बरहरवा)।

विषय:-स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

रँची, दिनांक :- 25.1.12.

प्रसंग:-विभागीय अधिसूचना संख्या-3262 दिनांक 30.06.2011 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-2005
दिनांक 20.04.11 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-3902 दिनांक 12.08.11

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन अधिसूचना के
अनुपालन में आपके द्वारा वर्तमान पद का प्रभार सौंपकर नवपदस्थापित पद का प्रभार अबतक ग्रहण नहीं
किया गया है, जो प्रथम द्रष्टव्य विभागीय आदेश की अवहेलना, सरकारी कार्यों के निसपादन में
शिथिलता एवं अनुशासन हीनता का द्योतक है। इसके लिए क्यों नहीं आपको निलंबित कर आपके उपर
विभागीय कार्यवाही चलाई जाए ?

अतएव उक्त अंकित तथ्यों के आलोक में अपना-अपना स्पष्टीकरण पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

388

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका/ मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर/ मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, ईचा गालुडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता, से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभाग को ससमय उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)